[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2026 का विधेयक संख्या–16 एच०एल०ए०

हरियाणा स्थानीय लेखा–परीक्षा विधेयक, 2026

सभी स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों, निकायों या संस्थाओं तथा स्थानीय निधि के लिए प्रभावी और दक्ष लेखा–परीक्षा प्रणाली और उससे सम्बद्ध तथा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक

चूंकि, तेरहवें वित्त आयोग (2010–2015) ने अपनी रिपोर्ट–जिल्द–I के पैरा 10.161 के उप–पैरा (ii) में अनुशंसा की है कि राज्य सरकार द्वारा सभी स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों के सभी प्रवर्ग और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर) के लिए एक लेखा–परीक्षा प्रणाली रखनी चाहिए और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य में प्रत्येक स्तर/प्रवर्ग पर सभी स्थानीय निकायों की लेखा–परीक्षा के सम्बन्ध में तकनीकी मार्गदर्शन देना चाहिए और पर्यवेक्षण करना चाहिए;

चूंकि, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के अनुदानों के प्रभावी व्यय को सुनिश्चित करना और राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा लोक धन के उपयोग/व्यय पर लोक विश्वास को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है;

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा स्थानीय लेखा–परीक्षा अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "प्रशासकीय सचिव" से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, जैसी भी स्थिति हो;

(ख) "लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, शत प्रतिशत लेखा–परीक्षा, पूर्व–लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा, पश्च–लेखा–परीक्षा, नमूना लेखा–परीक्षा, विशेष लेखा–परीक्षा तथा लेखों और संव्यवहार की ऐसी अन्य जांच, जो सरकार, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे;

(ग) "लेखा–परीक्षक" से अभिप्राय है, स्थानीय लेखा–परीक्षा विभाग का कोई अधिकारी / कर्मचारी, जिसे निदेशक द्वारा लेखा–परीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है;

(घ) "शत प्रतिशत लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष या ऐसी अवधि, जो निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए विशेष लेखे के सभी संव्यवहारों की पश्च लेखा–परीक्षा;

(ङ) "समवर्ती लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, दिन–प्रतिदिन के लेखों की निरन्तर लेखा–परीक्षा;

(च) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, हरियाणा;

(छ) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अभिप्राय है, शहरी स्थानीय निकाय के मामले में आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी / सचिव तथा पंचायती राज संस्थाओं के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी–सह–कार्यकारी अधिकारी, सरपंच या ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकरण का सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो;

(ज) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(झ) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्राय है तथा इसमें ऐसे प्राधिकरण शामिल हैं, जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं;

(ञ) "स्थानीय निधि" से अभिप्राय है तथा इसमें अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निधियां तथा ऐसी अन्य निधि शामिल है, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्थानीय निधि के रूप में घोषित करे;

(ट) "पश्च–लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, संव्यवहारों के समापन के बाद ब्योरेवार की गई लेखा–परीक्षा;

(ठ) "पूर्व–लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, स्थानीय निधि में से भुगतान के आहरण या समायोजन से पूर्व दिन–प्रतिदिन के संव्यवहारों की लेखा–परीक्षा;

(ड) "विहित" से अभिप्राय है; इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ढ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ण) "विशेष लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, विस्तृत जांच की अपेक्षा वाली किसी विशिष्ट मद या मदों की श्रृंखला से सम्बन्धित लेखों और संव्यवहारों की लेखा–परीक्षा तथा इसमें उन लेखों की दोबारा लेखा–परीक्षा करना भी शामिल है, जिनकी लेखा–परीक्षा पहले ही की जा चुकी है;

(त) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(थ) "अधिभार" से अभिप्राय है, ऐसी राशि, जिसके लिए निदेशक, किसी व्यक्ति को धनराशि या सम्पत्ति की हानि, बर्बादी, दुरूपयोग, दुर्विनियोग के लिए जिम्मेवार ठहराता है;

(द) "नमूना लेखा–परीक्षा" से अभिप्राय है, लेखों और संव्यवहारों की चयनात्मक सैंपल आधारित लेखा–परीक्षा।

लेखों की लेखा–परीक्षा।

3. (1) लेखा–परीक्षक, वार्षिक / द्विवार्षिक या ऐसे अन्तरालों, जो वह उचित समझे, पर लेखा–परीक्षा करेगा।

(2) लेखा–परीक्षक, स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निधि की ऐसी रीति, जो विनिर्दिष्ट की जाए, में लेखा–परीक्षा करेगा और लेखा–परीक्षा करते समय, लेखा–परीक्षक इस अधिनियम के अधीन निदेशक की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का पालन करेगा।

(3) लेखा–परीक्षक, किसी स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निधि की पूर्व लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा–परीक्षा या पश्च–लेखा–परीक्षा भी कर सकता है, जो उन्हें शासित करने वाली किसी विधि के उपबन्धों के अधीन आवश्यक पाई जाए या जो सरकार के परामर्श से निदेशक द्वारा निर्देशित की जाए।

ऐसे किसी प्राधिकरण, निकाय, संस्था या निधि, जो अनुसूची में शामिल नहीं है, की लेखा–परीक्षा करने की शक्ति।

4. निदेशक, सरकार की पूर्व स्वीकृति से और धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो निदेशक और ऐसे प्राधिकरण, निकाय, संस्था या निधि के प्रशासन के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के मध्य करार की जाएं, के अध्यधीन ऐसे किसी प्राधिकरण, निकाय, संस्था या निधि के लेखों की लेखा–परीक्षा कर सकता है, जो अनुसूची में शामिल नहीं हैं।

लेखा–परीक्षा हेतु लेखों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारी प्राधिकारी का दायित्व।

5. (1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित किसी स्थानीय प्राधिकरण के लेखे, कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में वित्त वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर लेखा–परीक्षा करवाने हेतु तैयार किए जाएंगे या करवाए जाएंगे।

(2) निदेशक, सरकार को उस स्थानीय प्राधिकरण को निधियाँ जारी करने से रोकने की अनुशंसा कर सकता है, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन मास की समाप्ति पर लेखा–परीक्षा करने हेतु लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

लेखा–परीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत करने तथा व्यक्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा करने की शक्ति।

6. (1) इस अधिनियम के अधीन लेखा–परीक्षा करने के प्रयोजनों हेतु, लेखा–परीक्षक,–

(क) लिखित में, लेखा–परीक्षा के स्थान पर, ऐसे वाउचरों, विवरणों, विवरणियों, पत्राचारों, टिप्पणियों या किसी अन्य दस्तावेज, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज शामिल हैं, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिनका लेखों तथा संव्यवहारों के विशदीकरण के लिए अवलोकन अथवा जॉच करना आवश्यक हो;

(ख) लिखित में, ऐसे वाउचरों, विवरणों, विवरणियों, पत्राचारों, टिप्पणियों या किसी अन्य दस्तावेज, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज भी शामिल हैं, के लिए उत्तरदायी अथवा उसकी अभिरक्षा या नियंत्रण रखने वाले अनुसूची में वर्णित किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी कर्मचारी या स्थानीय निधि का प्रशासन करने वाले प्राधिकारी अथवा स्थानीय प्राधिकरण

या प्राधिकारी, जो स्थानीय निधि प्रशासित करता है, के साथ किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई हिस्सा या हित रखने वाले किसी व्यक्ति से अपने सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और किसी प्रश्न का उत्तर देने की अपेक्षा कर सकता है और इस प्रकार उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज के सम्बन्ध में घोषणा और हस्ताक्षर करने या उससे सम्बन्धित कोई विवरण तैयार और प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है; तथा

(ग) किसी स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निधि को प्रशासित करने वाले किसी प्राधिकरण के किसी अधिकारी या सदस्य से किसी मामले में स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, तो ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है और ऐसे बिन्दु, जिस पर उसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है, को लिखित में विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) लेखा–परीक्षक, उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अध्यपेक्षा में कम से कम तीन दिन की अवधि विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसके भीतर उक्त अध्यपेक्षा की अनुपालना की जाए।

अध्यपेक्षा की अवज्ञा हेतु शास्ति।

7. कोई भी व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन उसको विधिपूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा की अनुपालना करने में उपेक्षा करता है अथवा करने से इनकार करता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक हजार रूपए से कम की नहीं हो सकेगी किन्तु पांच हजार रूपए तक की हो सकेगी:

परन्तु किसी व्यक्ति पर ऐसी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक उसे कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया हो कि क्यों न ऐसे नोटिस के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर शास्ति अधिरोपित की जाए।

लेखों की लेखा–परीक्षा का पूरा होना।

8. धारा 5 के अधीन लेखा–परीक्षा के लिए तैयार किए गए तथा प्रस्तुत किए गए लेखों की लेखा–परीक्षा, लेखा–परीक्षक द्वारा छह मास से अनधिक की अवधि अथवा ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के भीतर पूरी की जाएगी।

लेखा–परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी प्राधिकारी तथा कतिपय अधिकारियों तथा निकायों को भेजी जानी।

9. लेखा–परीक्षा के पूरा होने के बाद यथासम्भव यथाशक्य किन्तु उसके तीन मास के अपश्चात्, निदेशक, सम्बन्धित कार्यकारी प्राधिकारी को लेखा–परीक्षित लेखों पर रिपोर्ट भेजेगा और ऐसे अधिकारियों तथा निकायों या संस्थाओं, जैसी भी स्थिति हो, को रिपोर्ट की प्रतियां भेजेगा।

लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की विषय–वस्तु।

10. निदेशक द्वारा जारी की गई लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे,–

(क) कोई भुगतान, जो किसी विधि या सरकार के आदेश के प्रतिकूल की गई प्रतीत हो;

(ख) किसी कमी अथवा हानि की राशि, जो किसी व्यक्ति के अपने कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षा या कदाचार के कारण हुई प्रतीत हो;

(ग) निधि के दुर्विनियोग या अनुचित उपयोग का कोई मामला;

(घ) प्राप्त की गई राशि, यदि कोई हो, जिसे लेखे में लिया जाना चाहिए था किन्तु नहीं लिया गया;

(ङ) लेखा–परीक्षा में पाई गई कोई अन्य अनुचित सामग्री या अनियमितता;

(च) लेखा प्रणाली को सुधारने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई और सुझाव।

लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया।

11. (1) धारा 9 के अधीन भेजी गई लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कार्यकारी प्राधिकारी, दो मास की अवधि के भीतर, या तो लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में बताई गई कमियों या अनियमितताओं, यदि कोई हों, को सुधारेगा और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट पर की गई अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण सहित लेखा–परीक्षा रिपोर्ट सम्बन्धित प्राधिकरण के शासकीय निकाय की बैठक के सम्मुख रखेगा। कार्यकारी प्राधिकारी, उक्त बैठक की तिथि से एक मास के भीतर, निदेशक को भी उक्त कमियों/अनियमितताओं में सुधार करने वाली रिपोर्ट भेजेगा या ऐसी कमियों/अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसी रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण की प्राप्ति पर, निदेशक–

(क) कमियों/अनियमितताओं में सुधार वाली रिपोर्ट या इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण स्वीकार कर सकता है तथा आक्षेप वापस ले सकता है; अथवा

(ख) निर्णय कर सकता है कि लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान में आई किसी भी या सभी कमियों/अनियमितताओं में सुधार नहीं किया गया है।

(3) निदेशक, रिपोर्ट या स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तिथि से दो मास के भीतर या यदि कोई ऐसी रिपोर्ट या स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया गया है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट तीन मास की कुल अवधि की समाप्ति पर, उस पर आदेश पारित करेगा। यदि निदेशक निर्णय करता है कि लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान में आई किसी कमी या अनियमितता में सुधार नहीं किया गया है, तो वह क्रम से कथित करेगा,–

(क) कि क्या कमी या अनियमितता को विनियमित किया जा सकता है और यदि ऐसा है, तो किसी तरीके से; अथवा

(ख) कि यदि कमी या अनियमितता को विनियमित नहीं किया जा सकता तो क्या वे माफ किए जा सकते हैं तथा यदि ऐसा है, तो किस प्राधिकार से; तथा

(ग) कि उसकी राय में, राशि, जिससे कमी या अनियमितता सम्बन्धित है, प्रभारित की जा सकती है तथा यदि ऐसा है तो किसके विरुद्ध।

(4) स्थानीय प्राधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरी, निकाय या संस्था जो स्थानीय निधि को प्रशासित करती है, उपधारा (1) के अधीन कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान में आई कमी या अनियमितता का उद्धरण, यदि कोई हो, स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तथा उपरोक्त उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा उस पर पारित किया गया आदेश अपनी आगामी प्रशासकीय रिपोर्ट में प्रकाशित करेगा।

(5) इस धारा या धारा 10 की कोई भी बात, निदेशक को, किसी भी समय, ऐसी कार्रवाइयों, जो आवश्यक हों, कोई सूचना, जो निदेशक को आपराधिक दुर्विनियोग या धोखा अथवा, जो उसकी राय में, विशेष ध्यान या तुरंत जांच के लिए अपेक्षित है, की परिकल्पना में सहायक प्रतीत हो, सरकार के ध्यान में लाने से नहीं रोकेगी।

उपेक्षा या कदाचार के कारण अवैध भुगतानों और हानि के लिए निदेशक द्वारा अधिभार लगाना।

12. (1) निदेशक, किसी भी भुगतान, जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो, को अस्वीकार कर सकता है और अवैध भुगतान करने वाले व्यक्ति या को प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के विरुद्ध अधिभार लगा सकता है तथा उस व्यक्ति की उपेक्षा या कदाचार के कारण राशि में किसी कमी या हानि, या प्राप्त की गई कोई धनराशि, जो उस व्यक्ति द्वारा लेखे में ली जानी चाहिए थी किन्तु नहीं ली गई, के लिए जिम्मेवार किसी व्यक्ति से उसे वसूल कर सकता है और प्रत्येक ऐसे मामले में, ऐसे व्यक्ति से देय राशि प्रमाणित करेगा।

(2) अधिभार से व्यथित कोई व्यक्ति, निदेशक के निर्णय की प्राप्ति की तिथि से एक मास के भीतर, अधिभार को अपास्त करने के लिए प्रशासकीय सचिव को आवेदन कर सकता है और वह ऐसे साक्ष्य, जो आवश्यक हों, लेने के बाद उसे पुष्ट, उपांतरित या माफ कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन निदेशक द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति से देय प्रत्येक राशि ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे निदेशक के निर्णय की सूचना की तिथि से एक मास के भीतर कार्यकारी प्राधिकारी को भुगतान की जाएगी, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे समय के भीतर उपरोक्त उप–धारा (2) के अधीन निर्णय के विरूद्ध कोई अपील दायर न की हो और ऐसी राशि, यदि इस प्रकार भुगतान नहीं की गई हो, या यथा देय ऐसी राशि भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूल की जाएगी।

निदेशक की शक्तियां तथा कृत्य।

13. निदेशक, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:–

(i) लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए गए लेखा–परीक्षा आक्षेपों का निपटान करना;

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निधि की लेखा–परीक्षा तथा लेखों के रख–रखाव तथा संव्यवहार के सम्बन्ध में आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान महालेखाकार से संपर्क कर सकता है;

(iii) स्थानीय निधि से दस हजार रुपए से अनधिक की राशि या ऐसी धनराशि, जो विहित की जाए, से किए गए किसी भुगतान को माफ कर सकता है, जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत हो, यदि उसकी राय में, ऐसे भुगतान को प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की ओर से ऐसी कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी या कदाचार नहीं किया गया था; तथा

(iv) कोई अन्य शक्ति एवं कृत्य, जो विहित किए जाएं।

शक्तियों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन।

14. धारा 13 के खंड (iii) के अधीन प्रदत्त शक्ति के सिवाय, निदेशक, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए

नियमों के अधीन उस द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या कोई भी शक्ति या किए जाने वाले कार्यों को लेखा–परीक्षक को प्रत्यायोजित कर सकता है।

लेखा–परीक्षा की लागत का भुगतान।

15. (1) सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेखों तथा संव्यवहारों की लेखा–परीक्षा की लागत सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा भुगतान की जाएगी।

(2) सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपधारा (1) के अधीन लेखा–परीक्षा की लागत का भुगतान करने के दायित्व से किसी प्राधिकरण को या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट दे सकती है।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन लेखा–परीक्षा की देय लागत का भुगतान इसके देय होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है, तो सरकार, निदेशक की सिफारिश पर, ऐसे प्राधिकरण को भुगतान योग्य अनुदान या अन्य धनराशि, यदि कोई हो, के सापेक्ष उसे समायोजित कर सकती है:

परन्तु यदि ऐसे प्राधिकरण को कोई अनुदान या अन्य राशि भुगतान योग्य नहीं है, तो लेखा–परीक्षा की लागत, निदेशक द्वारा ऐसी रीति में वसूल की जाएगी, जो विहित की जाए।

विस्तृत लेखा–परीक्षा से छूट देने की शक्ति।

16. निदेशक, जब ऐसी परिस्थितियां हों, किसी लेखे या संव्यवहारों की श्रेणी की विस्तृत लेखा–परीक्षा करवाने से छूट दे सकता है और ऐसे लेखे और संव्यवहारों के सन्दर्भ में ऐसी सीमित जांच लागू कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा धनराशि या सामान के गबन या हानि की रिपोर्ट देना।

17. (1) जब कभी किसी स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरण, निकाय या संस्था जो स्थानीय निधि को प्रशासित करती है, को दुर्विनियोग, चोरी या प्राकृतिक आपदा के कारण धनराशि या सामान के गबन या हानि का पता चलता है, तो प्राधिकरण द्वारा परिस्थितियों, जिनसे ऐसा गबन या हानि हुई है, के ब्योरे देते हुए निदेशक को तत्काल रिपोर्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, निदेशक उस प्राधिकरण के लेखों और संव्यवहारों की तुरंत विशेष लेखा–परीक्षा करेगा या करवाएगा:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, कार्यकारी प्राधिकारी को धनराशि या सामान के किसी गबन या हानि के संदिग्ध या उसमें शामिल किसी व्यक्ति के विरूद्ध दांडिक कार्रवाई संस्थित करने से नहीं रोकेगी।

लेखा–परीक्षा रिपोर्ट रखवाना।

18. निदेशक ऐसे ब्योरे, जो वह सरकार के ध्यान में लाना चाहता है, देते हुए उसके द्वारा कार्यकारी प्राधिकारियों की करवाई गई लेखा–परीक्षा के लेखों और संव्यवहारों की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और सरकार समेकित रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख इसे रखवाएगी।

अधिकारिता का वर्जन।

19. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में सरकार या निदेशक या किसी अधिकारी द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

लंबित लेखा–परीक्षा के लिए विशेष उपबंध।

20. किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित सभी लेखों और संव्यवहारों की लेखा–परीक्षा, इस अधिनियम में दी गई किसी बात

के होते हुए भी, निदेशक द्वारा ऐसे समय, जो विहित किया जाए, के भीतर संगणित और पूरी की जाएगी, मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं हुआ हो।

अन्य अधिनियमितियों पर अधिनियम का अध्यारोही होना।

21. इस अधिनियम के उपबंध, राज्य की विधायिका द्वारा बनाई गई और तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

22. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशियत किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन निदेशक या किसी अधिकारी या ऐसे अधिकारी के निर्देशाधीन कार्यरत किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्रवाइयां नहीं हो सकेंगी।

लोक सेवक।

23. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित निदेशक या अन्य अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

24. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

25. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंध से अनअसंगत ऐसा उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समाचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश को इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।

26. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में कोई प्रविष्टि जोड़ सकती है:

परन्तु किसी स्थानीय प्राधिकरण और स्थानीय निधि का लोप राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के प्राधिकार के सिवाय अनुसूची से नहीं किया जाएगा।

व्यावृत्ति।

27. इस अधिनियम के उपबंध ऐसे किसी मामले, वाद अपील, पुनरीक्षण याचिका या किसी अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर निदेशक, सरकार या सिविल न्यायालय के सम्मुख लंबित हो और इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पूर्व लागू विधि, इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामलों, विवादों, अपीलों, पुनरीक्षण याचिकाओं या अन्य कार्यवाहियों पर निरंतर लागू रहेगी।

अनुसूची

(देखिए धारा 2)

I. स्थानीय प्राधिकरण

1. सभी नगर निगम
2. सभी नगरपालिका परिषदें
3. सभी नगरपालिका समितियां
4. सभी जिला परिषदें
5. सभी पंचायत समितियां
6. सभी ग्राम पंचायतें
7. सभी राज्य विश्वविद्यालय
8. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
9. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
10. महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय

II. स्थानीय निधि

1. धर्मार्थ विन्यास निधियां
2. सभी राहत निधियां
3. अभियांत्रिकी और चिकित्सा महाविद्यालय सहित सभी राज्य सरकार/राज्य सरकार की सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत के अन्य राज्यों के स्थानीय लेखा परीक्षा विभागों / नियमों को तथा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हरियाणा की समान कार्यप्रणाली को देखते हुए, विभाग के लिए एक अधिनियम तैयार करने की भी आवश्यकता है, ताकि एक मजबूत वैधानिक ढांचा प्रदान किया जा सके जो स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हरियाणा को स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों) तथा अन्य विविध स्थानीय निधि संस्थानों जैसे कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों, विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूलों, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजों और किसी भी कानून या सरकार के आदेश द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण, निकाय या संस्थान तथा किसी अन्य निधि जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए स्थानीय निधि घोषित करे, की स्वतंत्र, समयबद्ध और प्रभावी लेखा परीक्षा करने के लिए सशक्त बनाए।

लेखा परीक्षकों के प्रति लेखा परीक्षित संस्थानों की जवाबदेही लागू करने या रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने हेतु मजबूत कानूनी शक्तियों की आवश्यकता है।यह एक सख्त कानूनी तंत्र विकसित करने के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय प्राधिकरण एक निश्चित समय सीमा के भीतर ऑडिट पैरा (लेखा परीक्षा आपत्तियों) का जवाब दें। यह अधिनियम स्थानीय लेखा परीक्षा के निदेशक को वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को सीधे सरचार्ज (अधिभार) नोटिस जारी करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त करेगा। यह अधिनियम वैधानिक समर्थन प्रदान करेगा जो लेखा परीक्षा ढांचे को स्थानीय राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप से बचाता है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए राज्य विधानमंडल को वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपने के लिए वैधानिक समय सीमा अनिवार्य करता है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 26 अगस्त, 2026.

डॉ० वीरेंद्र कुमार दहिया, भा.प्र.से
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 26 अगस्त, 2026 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

राज्य सरकार सभी स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों, निकायों या संस्थानों तथा स्थानीय निधि के लिए और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों के लिए एक प्रभावी और कुशल लेखापरीक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु हरियाणा स्थानीय लेखा–परीक्षा विधेयक, 2026 अधिनियमित करने जा रही है; जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग (2010–2015) की रिपोर्ट– खंड–I के पैराग्राफ 10.161 के उप–पैराग्राफ (ii) में सिफारिशें की गई हैं।

लेखापरीक्षा की लागत के भुगतान के प्रावधान को संरेखित करने के लिए, विभाग लेखापरीक्षा सेवाएं प्रदान करने के एवज में सभी स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों, निकायों या संस्थानों तथा स्थानीय निधि आदि से लेखापरीक्षा शुल्क लेगा।

हरियाणा स्थानीय लेखा–परीक्षा विधेयक, 2026 का प्रस्तावित अधिनियमन (धारा–15) इस प्रकार है :

"**15.** (1) सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेखों तथा संव्यवहारों की लेखा–परीक्षा की लागत सम्बद्ध प्राधिकरण द्वारा भुगतान की जाएगी।

(2) सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपधारा (1) के अधीन लेखा–परीक्षा की लागत का भुगतान करने के दायित्व से किसी प्राधिकरण को या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट दे सकती है।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन लेखा–परीक्षा की देय लागत का भुगतान इसके देय होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है, तो सरकार, निदेशक की सिफारिश पर, ऐसे प्राधिकरण को भुगतान योग्य अनुदान या अन्य धनराशि, यदि कोई हो, के सापेक्ष उसे समायोजित कर सकती है:

परन्तु यदि ऐसे प्राधिकरण को कोई अनुदान या अन्य राशि भुगतान योग्य नहीं है, तो लेखा–परीक्षा की लागत, निदेशक द्वारा ऐसी रीति में वसूल की जाएगी, जो विहित की जाए।"

तदनुसार, हरियाणा स्थानीय लेखा– परीक्षा विधेयक, 2026 आवश्यक है।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

हरियाणा स्थानीय लेखा–परीक्षा विधेयक, 2026 का मकसद सभी स्थानीय प्राधिकरणों और उनसे जुड़े अन्य प्राधिकरणों, निकायों या संस्थाओं के लिए एक असरदार और कुशल ऑडिट सिस्टम बनाना है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय फंड रखने वाली जवाबदेह और ऑडिट–योग्य संस्थाओं के लिए सही ऑडिट सिस्टम के जरिए जवाबदेही को आसान बनाना है।

हरियाणा स्थानीय लेखापरीक्षा विधेयक, 2026 की **धारा–3** विभिन्न प्रकार के लेखो की लेखा परीक्षा आयोजित करने के प्रावधान के संबंध में है, जैसे कि वार्षिक/द्विवार्षिक, पूर्व–लेखा–परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा या पश्च–लेखा–परीक्षा आदि। **धारा–4:** अनुसूची में शामिल नहीं किए गए कुछ प्राधिकरणों, निकायों, संस्थानों या निधियों के लेखो का लेखा–परीक्षण करने की शक्ति, जो कि ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगी, जो निदेशक और ऐसे प्राधिकरण, निकाय, संस्थान या निधि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के मध्य करार की जाएँ। **धारा–5:** लेखा–परीक्षा के लिए समय पर खाते तैयार करने और प्रस्तुत करने की कार्यकारी प्राधिकरण की जिम्मेदारी/दायित्व। **धारा–6:** खातों के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज लेखा परीक्षा के स्थान पर प्रस्तुत करने और लेखा–परीक्षा के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति की मांग करने की शक्ति। खातों से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए लेखापरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना (स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निधि का प्रशासन करने वाले प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी)। **धारा–7:** अध्यापेक्षा की अवज्ञा हेतू शास्ति । कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अध्यपेक्षा की अनुपालना में लापरवाही करता है या इनकार करता है, वह ऐसी शास्ति से दंडनीय होगा जो एक हजार रूपये से कम नहीं हो सकेगी, और जिसे पांच हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है। **धारा–8:** धारा 5 के तहत लेखा परीक्षा के लिए तैयार और प्रस्तुत किए गए लेखो का लेखा परीक्षण पूरा करना, जो छह महीने की अवधि से अधिक नहीं या जैसा निर्धारित किया जाए, पूरा किया जाएगा। **धारा–9:** लेखा परीक्षा रिपोर्ट ऑडिट पूरा होने के बाद तीन महीने के भीतर कार्यकारी प्राधिकरण और ऐसे अधिकारियों तथा निकायों या संस्थाओ को भेजी जाएगी। **धारा–10:** लेखा परीक्षा रिपोर्ट की विषय वस्तु, जैसे कि कोई भी ऐसा भुगतान जो किसी कानून या सरकार के आदेश के विपरीत किया गया प्रतीत होता है; किसी व्यक्ति की लापरवाही या कदाचार के कारण हुई किसी कमी या नुकसान की राशि आदि। **धारा–11:** लेखा परीक्षा रिर्पोट प्राप्त होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जो जारी करने वाले प्राधिकरण और प्राप्त करने वाले प्राधिकरण दोनों के लिए परिभाषित है। **धारा–12:** निदेशक द्वारा अवैध भुगतानों और उपेक्षा या कदाचार के कारण हुए हानि पर अधिभार लगाना और इस धारा के तहत परिभाषित इसकी प्रक्रिया। अधिभार का अर्थ ऐसी राशि, जिसके लिए निदेशक, किसी व्यक्ति को धनराशि या संपत्ति की हानि, बर्बादी, दुरूपयोग, दुर्विनियोग के लिए जिम्मेवार ठहराता है। **धारा–13:** लेखा परीक्षा रिर्पोट की आपत्तियों के निपटारे, राज्य के प्रधान महालेखाकार से संपर्क करने आदि के संबंध में निदेशक की शक्तियां। **धारा–14:** निदेशक की शक्तियों और कृत्यों के प्रत्यायोजन से संबंध में। **धारा–15:** लेखा परीक्षण की जाने वाली संस्थाओं का लेखा परीक्षा

आयोजित करने के लिए लेखा परीक्षा की लागत का भुगतान के तरीके को परिभाषित करना। **धारा–16:** विस्तृत लेखा परीक्षा से छूट देने की शक्ति, ताकि ऐसे खातों या लेन–देन के ऑडिट के संबंध में ऐसी सीमित जांच लागू की जा सके, जैसा कि निदेशक उचित समझें। **धारा–17:** किसी स्थानीय प्राधिकरण या प्राधिकरण, निकाय या संस्थान के धनराशि या सामान के गबन या हानि की रिपोर्ट, चोरी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण धनराशि या सामान के गबन या हानि का पता चलने पर; इस तथ्य की रिपोर्ट प्राधिकरण द्वारा तुरंत निदेशक को दी जाएगी। **धारा–18:** स्थानीय लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित शहरी स्थानीय निकायो/पंचायतीराज संस्थाओ के खातों पर समेकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जिसमें ऐसे विवरण शामिल हों जिन्हें वह सरकार के ध्यान में लाना चाहता है, और सरकार प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र समेकित रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी। **धारा–19:** इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करके कार्य कर रहे लेखापरीक्षकों को दीवानी मुकदमों से बचाने के लिए दीवानी अदालतों के अधिकारिता का वर्जन। **धारा–20:** इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण के संबंध में खातों के लंबित लेखा परीक्षा के लिए विशेष प्रावधान, जिसे निदेशक द्वारा जारी रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा। **धारा–21:** अन्य अधिनियमितियों पर अधिनियम का अध्यारोही होना– इस अधिनियम के उपबन्ध, राज्य की विधायिका द्वारा बनाई गई तथा तत्समय लागू अन्य विधि में दी गई असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगें। **धारा–22:** सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, यह प्रावधान करने के लिए कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के तहत सद्भावपूर्वक की गई या की जाने वाली किसी भी बात के लिए निदेशक या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं चलेगी। **धारा–23:** यह परिभाषित करने के लिए कि निदेशक या अन्य अधिकारी भारतीय न्याय संहिता 2023 (केंद्रीय अधिनियम 2023 का 45) की धारा 2 की धारा–खंड (28) के अर्थ के भीतर लोक सेवक होंगे। **धारा–24:** इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। **धारा–25:** इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। **धारा–26:** अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति – आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। **धारा–27:** व्यावृत्ति – अधिनियम प्रारंभ होने से पूर्व के मामलें, वाद अपील,पुनरीक्षण याचिका या किसी अन्य कार्यवाही पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा।

कार्यपालिका को शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है। इसलिए, हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 126 में यथा–अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन है।

12827-H.V.S. H.G.P., Pkl.